

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 972 / 12

संस्थित दि.: 30 / 11 / 12

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

युवराजसिंह, पिता अर्जुनसिंह, उम्र 25 साल, जाति ठाकुर,
निवासी वार्ड नं. 06 मरारी मोहल्ला बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 27 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 05.09.2012 को रात्रि के 12:30 बजे तुसार नाला सुंदरवाही थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी0365 उपेक्षा एवं उतावलेपन तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को पलटी खिलाकर पूनमचंद को उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पूनमचंद ने आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 05.09.2012 को बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 के चालक युवराज ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर नाले में वाहन को पलटी खिला दिया जिससे उसे चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 102 / 12 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से वाहन जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी युवराज एवं आहत पूनमचंद मेश्राम के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप का विचारण किया जा रहा है ।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है ।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 05.09.2012 को रात्रि के 12:30 बजे तुसार नाला सुंदरवाही थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी0365 उपेक्षा एवं उतावलेपन तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी पूनमचंद (अ.सा.05) का कहना है कि घटना दिनांक 04.09.2012 को बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 को आरोपी युवराज चला रहा था बारिस हो रही थी। घटनास्थल पर मोड़ था और रोड़ गिला हो गया था। जिससे उसे और मोहनलाल को चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-06 है ।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता बी.एल.धुर्वे (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 25.09.2012 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए अपराध क्रमांक 102/12 की केश डायरी के विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर मोहनलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल से एक सफेद रंग की बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 को

गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। दिनांक 10.09.2012 को आरोपी युवराज से वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 का रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी युवराज को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। प्रार्थी पूनमचंद साक्षी मोहनलाल, सुरेन्द्र, के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। किन्तु अभियोजन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना 12 सितम्बर 2012 की शाम के 07:00 बजे की थी। आरोपी युवराज बुल्लेरो वाहन को चला रहा था। झिरियानाला में पानी गिरने रोड़ गिला हो गया था जिससे गाड़ी फिसल कर नाले में गिर गई जिससे उसे और एस.डी.ओ को चोट आयी थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.01) का कहना है कि आरोपी से उसके सामने बुल्लेरो वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुभाष (अ.सा.03) का कहना है कि जप्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(09) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(11) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता बी.एल.धुर्वे (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 25.09.2012 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए अपराध क्रमांक 102/12 की केश डायरी के विवेचना के दौरान घटनास्थल पर

जाकर मोहनलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल से एक सफेद रंग की बुलेटों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। दिनांक 10.09.2012 को आरोपी युवराज से वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 का रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी युवराज को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। प्रार्थी पूनमचंद साक्षी मोहनलाल, सुरेन्द्र, के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(12) किन्तु अभियोजन साक्षी पूनमचंद (अ.सा.05) का कहना है कि घटना दिनांक 04.09.2012 को बुलेटों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 को आरोपी युवराज चला रहा था बारिस हो रही थी। घटनास्थल पर मोड़ था और रोड़ गिला हो गया था। जिससे उसे और मोहनलाल को चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-06 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना 12 सितम्बर 2012 की शाम के 07:00 बजे की थी। आरोपी युवराज बुलेटों वाहन को चला रहा था। झिरियानाला में पानी गिरने रोड़ गिला हो गया था जिससे गाड़ी फिसल कर नाले में गिर गई जिससे उसे और एस.डी. ओ को चोट आयी थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(13) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.01) का कहना है कि आरोपी से उसके सामने बुलेटों वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने घटना दिनांक को बुलेटों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 को तेजी एवं लापरवाही चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया का समर्थन नहीं किया है।

(14) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुभाष (अ.सा.03) का कहना है कि जप्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(15) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी मनोज ने दिनांक

05.09.2012 को रात्रि के 12:30 बजे तुसार नाला सुंदरवाही थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी0365 उपेक्षा एवं उतावलेपन तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया यह परिलक्षित नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फरियादी पूनमचंद एवं साक्षी मोहनलाल, सुरेन्द्र, सुभाष को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी0365 को तेजी एवं लापरवाही चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 05.09.2012 को रात्रि के 12:30 बजे तुसार नाला सुंदरवाही थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी0365 उपेक्षा एवं उतावलेपन तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपी युवराज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपी युवराज पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(19) प्रकरण में जप्तशुदा बुलेरों वाहन क्रमांक एम.पी.50टी.0365 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)